**उत्तर प्रदेश शासन**

**पर्यटन अनुभाग**

**संख्या-45/2020/515/41-2020-112(बजट)/2018**

**लखनऊ दिनांक 05 फरवरी, 2020**

**संख्या-04/2020/3697/41-2019-112(बजट)/2018 दिनांक 03.01.2020**

**का शुद्धि पत्र**

**जनपद अयोध्या में स्थित यात्री निवास के सौन्दर्यीकरण एवं उच्चीकरण का कार्य कराये जाने हेतु** अवशेष वित्तीय स्वीकृति विषयक निर्गत शासनादेश **संख्या-04/2020/3697/41-2019-112(बजट)/2018 दिनांक 03.01.2020** के पृष्ठांकन के क्रमांक 6 पर **मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ** के स्थान पर त्रुटिवश **सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी** टंकित हो गया है।

2. अत: शासनादेश **संख्या-04/2020/3697/41-2019-112(बजट)/2018 दिनांक 03.01.2020** के पृष्ठांकन के क्रमांक 6 पर टंकित **सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी** को विलोपित करते हुए **मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ** टंकित किया जाता है। शासनादेश दिनांक **03.01.2020** की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

अत: शासनादेश **संख्या-04/2020/3697/41-2019-112(बजट)/2018 दिनांक 03.01.2020** उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

**संख्या-45/2020/515(1)/41-2020-112(बजट)/2018 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।,
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।,
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8- परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0), यूनिट-11, फैजाबाद।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
10- क्षेत्रीय प्रर्यटक अधिकारी, फैजाबाद मण्डल फैजाबाद।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in